भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम संख्यांक 15)[1]

[20 मार्च, 1920]

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी
बनाने के लिए
अधिनियम

पिछले युद्ध के दौरान रोगियों और घायलों की चिकित्सीय और अन्य सेवा के प्रयोजनों के लिए तथा उसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए जनता से प्राप्त विभिन्न धनराशियों और दानों के भविष्य में प्रबन्ध के लिए और विशेषत: इंग्लैंड में आर्डर आफ सैंट जॉन आफ जेरूसलम तथा ब्रिटिश रेड क्रास सोसाइटी की संयुक्त युद्ध-समिति, भारतीय शाखा के रूप में ज्ञात समिति द्वारा धारित धनराशियों और सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

और युद्ध के दौरान उक्त समिति द्वारा किए गए कार्य को अधिक व्यापक आधार पर और अधिक व्यापक प्रयोजन से शांतिकाल में जारी रखने की दृष्टि से एक भारतीय रेड क्रास सोसाइटी बनाने तथा वैसे ही उद्देश्यों वाली अन्य सोसाइटियों और निकायों को उसके साथ सम्बद्ध करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 है ।

[2]* * * * *

2. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का गठन—इस अधिनियम द्वारा एक सोसाइटी गठित की जाएगी जो भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के नाम से ज्ञात होगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सोसाइटी कहा गया है) । सोसाइटी के पहले सदस्यों का नामनिर्देशन उन व्यक्तियों द्वारा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व इंग्लैण्ड में आर्डर आफ सैंट जान आफ जेरूसलम तथा ब्रिटिश रेड क्रास सोसाइटी की संयुक्त युद्ध-समिति भारतीय शाखा, के (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) सदस्य थे, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के अन्दर समिति की सामान्य परिपाटी के अनुसार उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई और की गई बैठक में किया जाएगा । इस प्रकार नामनिर्देशन किए जाने वाले सदस्यों की संख्या पच्चीस से कम या पचास से अधिक नहीं होगी ।

3. प्रबन्ध निकाय की नियुक्ति—उसी बैठक में समिति धारा 2 के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों में से सोसाइटी का प्रबन्ध निकाय नियुक्त करेगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबन्ध निकाय कहा गया है) । उसके सदस्य उस रूप में अपने पदों को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से नए प्रबन्ध निकाय के नियुक्त किए जाने तक धारण करेंगे । प्रबन्ध निकाय के सदस्यों की संख्या दस से कम या तीस से अधिक नहीं होगी ।

4. निगमन—सोसाइटी के पहले सदस्य और सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके सदस्य हो जाएं, तब तक के लिए जब तक वे ऐसे बने रहते हैं, इसके द्वारा भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं, और उक्त निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे, जंगम और स्थावर, सम्पत्ति का धारण और अर्जन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

[3][**4क. सोसाइटी का प्रधान**—भारत का राष्ट्रपति सोसाइटी का प्रधान होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान कहा गया है) ।

4ख. प्रबंध निकाय की संरचना—(1) धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध निकाय निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जिसे प्रधान द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ख) छह सदस्य, जो प्रधान द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(ग) बारह सदस्य, जो धारा 5 के अधीन प्रबंध निकाय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य शाखा समितियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे :

परंतु किसी राज्य शाखा समिति द्वारा एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाएंगे :

---

[1] इस अधिनियम का 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर विस्तार संशोधित रूप में किया गया । अधिनियम का 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा (23-1-1992 से) अंत:स्थापित ।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य निरंतर दो अवधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

(2) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान प्रबंध निकाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उक्त निकाय के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने ऐसे प्रारंभ पर अपने पदों को रिक्त कर दिया है और प्रबंध निकाय का, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर पुनर्गठन किया जाएगा और जब तक उसका इस प्रकार पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता तब तक प्रधान, ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रबंध निकाय द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, प्रयोग और निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

4ग. सोसाइटी का महासचिव और कोषाध्यक्ष—(1) प्रबंध निकाय, प्रधान के पूर्व अनुमोदन से, सोसाइटी का एक महासचिव और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(2) महासचिव और कोषाध्यक्ष की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो प्रबन्ध निकाय द्वारा धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित करे :

परंतु महासचिव और कोषाध्यक्ष की पदावधि और सेवा की शर्तें, प्रबंध निकाय द्वारा उसी रीति से परिवर्तित की जा सकेंगी ।

(3) किसी संविदा या करार में किसी बात के होते हुए भी और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय सोसाइटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति की पदावधि और सेवा की शर्तें, प्रबंध निकाय द्वारा प्रधान के पूर्व-अनुमोदन से, परिवर्तित की जा सकेंगी ।

4घ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य—(1) अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रबंध निकाय और प्रबंध निकाय द्वारा गठित सभी अन्य समितियों की, जिनका वह अध्यक्ष है, अध्यक्षता करना;

(ख) सोसाइटी के कोषाध्यक्ष की सलाह पर बजट आबंटनों का एक मुख्य लेखाशीर्ष से दूसरे मुख्य लेखाशीर्ष में पुनर्विनियोग करना;

(ग) सोसाइटी के कोषाध्यक्ष की सलाह पर ऐसी मदों पर, जो सोसाइटी के वार्षिक बजट में अनुध्यात न हो, व्यय, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत करना;

(घ) सोसाइटी के उपसचिव की और उससे ऊपर की पंक्ति के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां, यदि आवश्यक हों, संस्थित करना :

परंतु इस प्रकार संस्थित अनुशासनिक कार्यवाहियों के आधार पर अंतिम विनिश्चय,—

(i) सोसाइटी के महासचिव के दशा में, प्रधान के पूर्व अनुमोदन से;

(ii) अन्य दशाओं में, प्रबंध निकाय के पूर्व अनुमोदन से,

किया जाएगा ।

(2) उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष के छुट्टी पर होने या विदेश यात्रा पर होने अथवा वैसे ही किन्हीं अन्य कारणों से उसके अनुपस्थित होने की दशा में, उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त या उपधारा (3) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करना और कृत्य का पालन करना;

(ख) प्रबंध निकाय द्वारा नियुक्त सभी समितियों या उप-समितियों में पदेन सदस्य के रूप में कार्य करना ।

(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त, ऐसी अन्य वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो उन्हें प्रबंध निकाय द्वारा धारा 5 के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्यायोजित की जाएं ।

4ङ. प्रधान की प्रबंध निकाय को अतिष्ठित करने की शक्तियां—(1) यदि किसी भी समय प्रधान की यह राय है कि—

(क) प्रबंध निकाय की, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने में घोर असफलता रही है; या

(ख) प्रबंध निकाय, ऐसी रीति से कार्य कर रहा है, जो सोसाइटी के उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है,

तो प्रधान, लिखित आदेश द्वारा, प्रबंध निकाय को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व प्रधान, प्रबंध निकाय को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और यह प्रबंध निकाय के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रबंध निकाय को अतिष्ठित करने का आदेश जारी किए जाने पर,—

(क) प्रबंध निकाय के सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रबंध निकाय द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, तब तक, प्रबंध निकाय का पुनर्गठन नहीं हो जाता, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा जिन्हें प्रधान इस निमित्त नियुक्त करे ।

(3) प्रधान, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर, अतिष्ठित काल को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए जिसकी सिफारिश उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा की जाए, बढ़ा सकेगा :

परंतु प्रधान उपधारा (1) के अधीन मूलत: विनिर्दिष्ट या इस उपधारा के अधीन बढ़ाए गए अतिष्ठिति काल की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय, धारा 4ख के उपबंधों के अनुसार प्रबंध निकाय का पुनर्गठन करने के लिए, कदम उठा सकेगा जो आवश्यक हो ।]

5. नियम बनाने की शक्ति—[1][(1)] प्रबन्ध निकाय, सोसाइटी के [2][प्रबन्ध, कृत्य, नियन्त्रण] और प्रक्रिया [3][के लिए नियम,[4] [3][प्रधान के पूर्व अनुमोदन से] बना सकेगा] । इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी की सदस्यता की शर्तें;

(ख) प्रबन्ध निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि;

(ग) अन्तरराष्ट्रीय और अन्य समितियों में प्रतिनिधियों का चुनाव;

[5][(घ) राज्य शाखा समितियों द्वारा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया;]

(ङ) वित्त, चिकित्सा और अन्य समितियों का गठन तथा उनको शक्तियों का प्रत्यायोजन; [6]***

[7][(च) राज्य शाखा समितियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने में प्रबन्ध निकाय द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां;

(छ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ज) प्रबंध निकाय की सदस्यता के लिए निरर्हताएं;

(झ) सोसाइटी के महासचिव और कोषाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ञ) साधारणतया सोसाइटी और प्रबंध निकाय की प्रक्रिया का विनियमन ।]

[8][(2) केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

6. संयुक्त युद्ध समिति का विघटन और सम्पत्ति का अन्तरण—सोसाइटी के पहले सदस्यों के नामनिर्देशन और प्रबन्ध निकाय की नियुक्ति पर—

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (23-1-1992 से) धारा 5 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा "प्रबंध, नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास के भीतर और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बनाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] इन नियमों के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1920, भाग 1, पृ० 2055 ।

[5] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (23-1-1992 से) खंड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1956 के अधिनिमय सं० 22 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द निरसित ।

[7] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (23-1-1992 से) खंड (ङङ) और (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (23-1-1992 से) अंत:स्थापित ।

(क) समिति विघटित कर दी जाएगी;

(ख) जंगम या स्थावर, सभी प्रकार की सम्पत्ति, जो समिति की हो या उससे सम्बन्धित हो, सोसाइटी में निहित हो जाएगी और प्रबन्ध निकाय द्वारा उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाएगी जो इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित हैं; और

(ग) समिति के समस्त ऋण और दायित्व सोसाइटी को अन्तरित हो जाएंगे और तत्पश्चात् उसके द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से उनको चुकाया जाएगा और उनकी तुष्टि की जाएगी तथा समिति के प्रत्येक सदस्य का उससे पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा ।

7. प्रयोजन जिनके लिए सोसाइटी की निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा—समिति को या उसके प्रयोजनों के लिए अभिदानों अथवा दानों के लिए किसी अपील में किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्ध निकाय स्वविवेकानुसार :—

(क) उस मूल सम्पत्ति या उसकी आय का अथवा उस मूल सम्पत्ति के या उसकी आय के किसी भाग जो कि धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन उसमें निहित हो, प्रयोग भारत में या किसी अन्य देश में, जिसमें समय-समय पर भारत से अभियान सैन्य-दल नियोजित हों, युद्ध से हुई, रुग्णता, व्यथा या कष्ट के उपचार के लिए तथा उस उद्देश्य से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए और रेड क्रास डिपो को सैनिक प्रयोजनों के लिए चलाने में, कर सकेगा;

(ख) धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी किसी सम्पत्ति की केवल आय का न कि मूल सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रयोग, भारत में रुग्णता या व्यथा के, चाहे वह युद्ध से हुई हो या न हुई हो, उपचार के लिए अथवा पहली अनुसूची में उपवर्णित उद्देश्यों में से किसी की पूर्ति के लिए कर सकेगा ।

8. शाखा समितियां बनाना—[1][(1)] यदि कोई शाखा समितियां जो सोसाइटी के सदस्यों से मिलकर बनती हैं दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट [2][भारत के राज्यों में से किसी में] [3]*** बनाई जाती है तो धारा 7 के खण्ड (क) [4][तथा धारा 13] के प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध निकाय की आवश्यकताओं तथा प्रबन्ध के व्ययों के लिए किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उस सम्पत्ति की आय जो धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन सोसाइटी में निहित हो गई है हर वर्ष ऐसी शाखा समितियों में उक्त अनुसूची में दिए गए अनुपात के अनुसार वितरित की जाएगी जो उनके द्वारा और उनके विवेकानुसार धारा 7 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से सभी या किसी पर व्यय की जाएगी ।

[5][(2) [6][केन्द्रीय सरकार], भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि दूसरी अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट [7][भारत [8]*** के किसी भाग को] उससे अपवर्जित किया जाएगा या उसमें विनिर्दिष्ट न किए गए [7][भारत [8]*** के किसी भाग को] उसमें सम्मिलित किया जाएगा, और उक्त अनुसूची के [9][द्वितीय स्तम्भ] में विनिर्दिष्ट प्रतिशतों को इस प्रकार अपवर्जित या सम्मिलित किए जाने की अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर दूसरी अनुसूची ऐसी अधिसूचना के अनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कोई भी अधिसूचना दूसरी अनुसूची में उस समय सम्मिलित है [10][भारत [11]*** के किसी राज्य में] गठित प्रत्येक शाखा समिति की सहमति के बिना नहीं की जाएगी ।]

9. अन्य सोसाइटियों को सम्बद्ध करना—प्रबन्ध निकाय, [12][चाहे भारत में या किसी अन्य देश में गठित] किसी ऐसी अन्य सोसाइटी या निकाय को भी सोसाइटी से सम्बद्ध कर सकेगा जिसके समस्त या कोई उद्देश्य और प्रयोजन वैसे हों जैसे धारा 7 में निर्दिष्ट हैं तथा ऐसी सोसाइटी या निकाय के माध्यम से किन्हीं ऐसे उद्देश्यों या प्रयोजनों को या उनके लिए निधियों के आबंटन और वितरण के लिए उपबन्ध कर सकेगा ।

---

[1] 1937 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 8 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[2] विधि अनुकूलन (तीसरा संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा यथा संशोधित विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा, "भारत और पाकिस्तान के किसी भी प्रान्त, राज्य और किसी अन्य भाग में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा "या पाकिस्तान के किसी भाग में" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा "और धारा 13" पद अंत:स्थापित ।

[5] 1937 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) से (4) तक जोड़ी गई ।

[6] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] विधि अनुकूलन (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत का कोई प्रान्त, राज्य या अन्य भाग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा अंत:स्थापित "या पाकिस्तान" शब्दों का 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[9] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा "तीसरे कालम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत और पाकिस्तान के प्रान्तों, राज्यों और अन्य भागों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[11] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा "पाकिस्तान का कोई भाग" शब्दों का लोप किया गया ।

[12] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

10. प्रयोजनों के बारे में प्रबन्ध निकाय के विनिश्चय का अन्तिम होना—प्रबन्ध निकाय को सभी मामलों में यह अवधारित करने का प्राधिकार होगा कि कौन से विषय उचित रूप से धारा 7 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत हैं और ऐसे सभी मामलों में उसका विनिश्चय सभी शाखा समितियों और सम्बद्ध सोसाइटियों या निकायों के लिए आबद्धकर होगा ।

11. दानों की प्राप्ति और उनका प्रयोग—प्रबन्ध निकाय, सोसाइटी के सामान्य प्रयोजनों के लिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए [1]*** किसी प्रकार के दान भी प्राप्त कर सकेगा और धारण कर सकेगा तथा ऐसे दानों की प्राप्ति पर, वह धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनका प्रयोग या तो सीधे या शाखा समितियों अथवा धारा 9 के अधीन सम्बद्ध सोसाइटियों या निकायों के माध्यम से, ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकेगा ।

12. शाखा समितियों की शक्तियां—धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों [2][और उनके अधीन प्रबन्ध निकाय द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली पर्यवेक्षण की शक्तियों] के अधीन रहते हुए प्रत्येक शाखा समिति को [3]*** दान प्राप्त करने और अपने को प्राप्त समस्त धनराशियों को अपने प्रयोजनों के लिए या तो सीधे या अन्य सोसाइटियों या निकायों के माध्यम से व्यय करने की पूरी शक्ति होगी ।

[4][**13. सम्पत्ति का पाकिस्तान को अन्तरण**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्ध निकाय, तीसरी अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट निधियों में से उन रकमों का पाकिस्तान रेडक्रास सोसाइटी को अन्तरण कर सकेगा जो उस अनुसूची में पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी के अंश के रूप में विनिर्दिष्ट हैं और जिन्हें उस सोसाइटी ने उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वे सोसाइटी द्वारा धारित थीं, प्रयोग करने के लिए प्राप्त करने के वास्ते सहमति दे दी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी को ऐसी रकमों के अन्तरण पर सोसाइटी ऐसी सब बाध्यताओं से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगी जो उस पर भारतीय रेड क्रास (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 22) के प्रारम्भ से पूर्व यथाप्रवृत्त इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अथवा पाकिस्तान में या उसके किसी भाग में की जाने वाली किसी बात के संबंध में किसी न्यास या किसी अन्य दस्तावेजों के अधीन अधिरोपित हों ।]

[5][पहली अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

उद्देश्य जिनके लिए सोसाइटी की निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा

1. 1949 के अगस्त की 12 तारीख के जेनेवा कन्वेशनों के निबन्धनों और उनकी भावना के अनुसार संघ के सशस्त्र बलों के रुग्ण और घायल सदस्यों की सहायता और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के मान्यताप्राप्त सहायक के रूप में कन्वेंशनों के अधीन सोसाइटी पर न्यागत होने वाली अन्य बाध्यताओं का निर्वहन ।

2. संघ के सशस्त्र बलों के सैन्य-वियोजित रुग्ण और घायल सदस्यों की सहायता ।

3. प्रसूति प्रसुविधा और शिशु कल्याण ।

4. जूनियर रेड क्रास ।

5. परिचर्या और एम्बुलेंस कार्य ।

6. चाहे भारत में या उसके बाहर, महामारी, भूचाल, अकाल, बाढ़ या अन्य संकटों से होने वाले कष्ट को कम करने के लिए उपचार की व्यवस्था ।

7. अन्तरराष्ट्रीय रेड क्रास संगठन के विनिश्चयों के अनुसार समस्त राष्ट्रों में शान्ति की स्थापना और उसे बनाए रखना ।

8. अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में आराम और आवश्यक वस्त्र आदि उपलब्ध करने के लिए कार्यकारी दल ।

9. सोसाइटी और उसकी शाखाओं तथा सम्बद्ध सोसाइटियों और निकायों के प्रबन्ध का व्यय ।

10. सोसाइटी के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बनाई गई अन्तरराष्ट्रीय या अन्य समितियों में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व ।

11. स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों की रोकथाम और कष्टों को कम करना तथा ऐसे अन्य सम्बन्धित उद्देश्य जो समय-समय पर सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किए जाएं ।]

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा "जिसके लिए धारा 6 के खंड (ख) के अधीन उसमें निहित समग्र सम्पत्ति या उसकी आय धारा 7 के उपबंधों के अधीन उपभोग की जा सकती है" अभिव्यक्ति का लोप किया गया ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा (23-1-1992 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1956 के अधिनियम सं० 22 की धारा 9 द्वारा पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर पहली अनुसूची से तीसरी अनुसूची तक प्रतिस्थापित ।

[1][दूसरी अनुसूची

(धारा 8 देखिए)

धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन सोसाइटी में निहित सम्पत्ति की आय पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के दावे का लगभग प्रतिशत दर्शित करने वाला विवरण ।

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र का नाम	लगभग प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	5.92
आसाम	1.49
बिहार	6.25
[2][गुजरात	5.63]
[3][हरियाणा	3.20]
केरल	1.03
मध्य प्रदेश	10.58
[4][तमिलनाडु	4.52]
[5][महाराष्ट्र	11.07]
[6][कर्नाटक]	4.62
उड़ीसा	2.02
पंजाब	[7][4.70]
राजस्थान	6.11
उत्तर प्रदेश	23.69
पश्चिमी बंगाल	5.84
जम्मू-कश्मीर	1.35
[8][चंडीगढ़	0.05]
दिल्ली	0.68
हिमाचल प्रदेश	[7][1.19]
त्रिपुरा	0.06]

[1] विधि अनुकूलन (सं० 4) आदेश, 1957 द्वारा (1-11-1956 से) पूर्ववर्ती दूसरी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] मुम्बई, पुनर्गठन (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) सं० 2 आदेश, 1961 द्वारा मुम्बई से सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर (1-5-1960 से) प्रतिस्थापित ।

[3] पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।

[4] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] मुम्बई, पुनर्गठन (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) सं० 2 आदेश, 1961 द्वारा (1-5-1960 से) अंत:स्थापित ।

[6] मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित ।

[7] पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1966 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1966 से) अंत:स्थापित ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 13 देखिए)

स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट निधियों में पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी का अंश दर्शित करने वाला विवरण ।

निधि का नाम जिससे अन्तरण किया जाना है	पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी का अंश जैसा कि वह 30-6-1948 को था	पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी को 31-12-1952 तक दी गई अग्रिम रकम	पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी को संदेय अतिशेष, प्रतिभूतियों में उनकी लागत कीमत पर और नकदी में जैसा तय पाया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी	41,74,208-6-3	4,04,348-13-5	37,69,859-8-10
इंडियन फोर्सिस मैडिकल आफ्टर केयर फंड	4,81,232-14-0	1,30,000-0-0	3,51,232-14-0
लेडी चैम्सफोर्ड आल-इंडिया मैटर्निटी एण्ड चाइल्ड वैलफेयर ब्यूरो-आर्मी चाइलड वैलफेयर फंड	91,225-0-0	8,186-13-0	83,038-3-0
विक्टोरिया मैमोरियल स्कालरशिप फंड	1,83,669-4-0	18,395-8-0	1,65,273-12-0
कुल	49,30,335-8-3	5,60,931-2-5	43,69,404-5-10
जोड़िए—आसाम रेड क्रास शाखा से प्राप्य रकम	-	-	36,351-0-0
			44,05,755-5-10
घटाइए—पाकिस्तान रेड क्रास की पश्चिमी पंजाब शाखा से प्राप्य रकम			5,543-0-0
पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी को संदेय शुद्ध रकम			44,00,212-5-10
जोड़िए—पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी के अंश में प्रतिभूतियों पर 1-7-1948 से अन्तरण की तारीख तक उपार्जित ब्याज, उस ब्याज को समायोजित करने के पश्चात् जो पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी की पश्चिमी पंजाब शाखा से प्राप्त रकम से हो ।			

———